**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1468**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरुद्ध**

**विरोध प्रदर्शन**

**1468. श्री इलामारम करीमः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध् में रिकॉर्ड किए गए मामलों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य में दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी-कितनी है;**

**(ख) विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध की गई पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए, घायल हुए और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;**

**(ग) गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में से कितने प्रदर्शनकारी अब भी जेल में है और उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं; और**

**(घ) क्या सरकार इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की समीक्षा करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘लोक व्यवस्था’ और ‘पुलिस’ राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्य सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा कानून तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध उपयुक्‍त कार्रवाई करने के लिए उत्‍तरदायी है। केंद्र सरकार राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करती है तथा कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा होने की स्थिति में राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

किसी कानून के विरूद्ध प्रदर्शनों से संबंधित आंकड़े केन्‍द्रीयकृत रूप में उपलब्‍ध नहीं हैं।

 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की सुविधा दी गई थी, जिन्होंने भारत में दिनांक 31.12.2014 को अथवा उससे पहले प्रवेश किया है और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम/आदेश के प्रावधानों के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है।

\*\*\*\*\*